संख्या–466 /XXVIII–5–2011–22/2008

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 10–11 में राज्य योजनान्तर्गत ब्लड बैंक, बागेश्वर हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–136/XXVIII(5)-2008–22/2008 दिनांक 10.03.2008 एवं आपके पत्रांक–7प/1/ब्लड बैंक/47/2007/2968, दिनांक 29.01.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राज्ययोजनान्तर्गत ब्लड बैंक, बागेश्वर के अवशेष चालू कार्यो को पूर्ण करने हेतु अनुमोदित लागत ₹ 35.37 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0–28.83 लाख के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 5.44 लाख (₹ पांच लाख चवालिस हजार मात्र) की धनराशि संगत मद रो एवं ₹1.10 लाख की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 में अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोजन के माध्यम से इस प्रकार कुल ₹6.54 लाख (रूपया छः लाख चौवन हजार मात्र) की सम्पूर्ण अवशेष धनराशि अनुमोदित करते हुए निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–1227/ XXVIII(3)-2009–181/2009 दिनांक 08.12.2009 में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

2– धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में मूल/पुनरीक्षित स्वीकृति समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। योजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अतएव विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायगा।

4— स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5— धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

6— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7— अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक वर्ष 2010-11 के अनुदान सं0-12 लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें,-110 अस्पताल तथा औषधालय, 04 ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-1040(पी)/XXVII(1)/2011,दिनांक 04.03.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्या-466(1)/XXVIII-5-2011-22/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5— जिलाधिकारी, बागेश्वर ।
6— वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7— मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर ।
8— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
9— अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
10— परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, बागेश्वर।
11— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13— मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
14— गार्ड फाईल।

संलग्नक - यथोपरि

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

विभाग–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | (वित्तीय वर्ष 2010–11)

प्रस्तर –158 | अनुदान संख्या–12 | बी0एम0–15

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून। | पुनर्विनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में सम्भावित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुन–विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 09–ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य 24–वृहद निर्माण कार्य 1000	0	890	110(क)	4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय, 04–ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य 24–वृहद निर्माण कार्य 110(ख)	2110	890	(क)– संगत मद में वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत हुई हैं। (ख)– वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित बजट कम पड़ने के कारण पुनर्विनियोजन की आवश्यकता हुई हैं।
योग 1000	0	890	110	110	2110	890	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय अनुभाग
संख्या–105(P)/वित्त अनु0–3/2011
देहरादून: दिनांक: 25 फरवरी, 2011
पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(डॉ0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी)
देहरादून

संख्या–566 (1)/XXVIII–5–2011–22/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 ।
4. गार्ड फाईल ।

(सुनीलश्री पाथरी)
उप सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SONIA MANRAL\Punarvinyoga 2010-11 Capital B M-15 2010-11.doc